संख्या- 962/59-1-2010-125(खा)/03 टी०सी०

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र०खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 29 दिसम्बर, 2010

विषय :- वर्ष 2010-11 में श्री गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर विशेष छूट।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 925/खा0ग्रा0बो0/खादी रिबेट/2010-11,दिनाँक-15-9-2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010-11 में श्री गांधी जयन्ती के अवसर पर उ०प्र० में स्थित मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं/समितियों के द्वारा प्रदेश में की जाने वाली खादी वस्त्रों (सूती, ऊनी, पॉली व रेशमी) की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से निम्न प्रकार विशेष छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(अ) सूती, रेशमी व पॉली खादी वस्त्रों की बिक्री पर दिनांक 03-10-2010 से 60 कार्य दिवसों के लिए छूट अनुमन्य रहेगी।

(ब) ऊनी खादी (कम्बल, कम्बली सहित) की बिक्री पर दिनांक 01-11-2010 से 60 कार्य दिवसों के लिए छूट अनुमन्य रहेगी।

2- उक्त विशेष छूट के लिए अनुमन्यता की शर्तें व प्रतिबन्ध निम्नवत् होंगे :-

(क) विशेष छूट की सुविधा केवल ऐसी संस्थाओं/समितियों को अनुमन्य होगी, जिनके पास खादी/पॉली खादी का वैध प्रमाण-पत्र हो तथा रजिस्ट्रेशन वैध हो,

(ख) संबंधित वर्ष के लिए संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई अथवा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय व तकनीकी सहायता खादी के उत्पादन, बिक्री व सम्वर्धन के मद में प्राप्त हुयी हो,

(ग) संबंधित वर्ष के लिए संस्था का बिक्री लक्ष्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई अथवा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित हो,

(घ) यह विशेष छूट केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगी जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई/उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ए, बी अथवा सी श्रेणी में वर्गीकृत हों,

(ङ) यह विशेष छूट केवल अनुमोदित विक्रय केन्द्रों पर की गयी बिक्री पर ही अनुमन्य होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई और उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विक्रय केन्द्रों पर की जाने वाली बिक्री पर भी छूट अनुमन्य होगी,

(च) शासकीय विभागों, संगठनों, संस्थानों, उपक्रमों, सहकारी समितियों व अन्य स्वायत्तशासी निकायों, जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन हो, को की जाने वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(छ) खादी वस्त्रों के निर्यात पर यह विशेष छूट अनुमन्य नहीं होगी,

(ज) विशेष छूट के भुगतान की वही प्रक्रिया लागू होगी जो शासनादेश संख्या-764/59-2-2004, दिनांक 26-7-04, सपठित शासनादेश संख्या-866/59-2-2004, दिनांक 16-9-2004, सपठित शासनादेश संख्या-1079(10)/59-2-2005-23(खा)/2000 टी०सी०, दिनांक 18.02.2005, सपठित शासनादेश संख्या-307/59-2-2005-19(खा)/2000 टी०सी०, दिनांक 16.05.2005 द्वारा निर्धारित है।

(झ) जिन संस्थाओं को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्तर से खादी वस्त्रों/ऊन/सूत आदि की आपूर्ति की गयी है, उसकी कीमत की वसूली संबंधित संस्थाओं को देय रिबेट की धनराशि में कटौती करके कर ली जायेगी।

(ट) बिक्री की सत्यापन प्रक्रिया को नये सिरे से देख लिया जायेगा जिससे केवल वास्तविक बिक्री पर ही रिबेट मिले तथा व्यय को बजट प्राविधान तक ही सीमित किया जा सके।

3- कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई तथा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं/समितियों एवं बोर्ड के परिक्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को भी परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या - 962(1)/59-1-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम)उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार, इर्ला रोड, विले पार्ले, मुम्बई (पश्चिम)-56
3. वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लेखराज मार्केट, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (खादी), उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
8. नियोजन अनुभाग-4
9. गोपन अनुभाग -1
10. खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन), ई-फ्लोर, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com